

वकील अहकाम

उपखण्ड अधिकारी (26)

वकील/वकीला (वकील/वकीला) मुकाम

21/11/2018

वनाम

राई चण्ड

(128 LRA)

सं.

50/18

सन्

<p>नाम वकील</p>	<p>वकील या कार्यवाही में इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
---------------------	---	---

23-4-18

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.
अनुच्छेद का वाद जांच पेश हुआ, जिसे दर्ज
की जा चुका है। प्रार्थना पत्र का अवलोकन
के बाद एक पक्षीय बहस सूनी गई।
वकील/वकीला वकील/वकीला को कमीशनर नियुक्त
किया जाकर आदेश दिया जाता है कि
वकील/वकीला



फांचा

633, 904/642, 642, 903/633 की 634 635

636, 637, 640, 641

वकील/वकीला की पत्थरगढी विपक्षीयता
की साजुदगी में की जावे।

प्रार्थी से कमीशनरी फिस रुपये 1000/-

वसूल किये जाकर राजकोष में जमा करावें।

पत्रावली में हुकमनामा जारी होकर
बतावत हुनार होकर नम्बर से कम हों।

उपखण्ड अधिकारी
वकील/वकीला